न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 35/2018

अपीलांट

1. पूर्णिमा पुत्री भीमारामजी, आयु व्यस्क,
2. योगेश पुत्र भीमारामजी, आयु व्यस्क
3. अविनाश पुत्र भीमारामजी आयु व्यस्क
4. ललिता पुत्री भीमाराजी, आयु व्यस्क, अपीलांट 2 ता 4 नाबालिग जरिये कुदरतीवलीया बहिन पूर्णिमा पुत्री भीमारामजी
5. कविता पुत्री भीमाराजी, आयु व्यस्क
6. खुशबु पुत्री भीमाराजी आयु व्यस्क
7. कैलाश पुत्र चुन्नीलालजी, आयु व्यस्क
8. मोहनलाल पुत्र चुन्नीलालजी, आयु व्यस्क
9. रतनी पुत्री चुन्नीलालजी, आयु व्यस्क
10. श्रीमती संतीबाई पत्नी चुन्नीलालजी, आयु व्यस्क
11. जोगाराम पुत्र अन्नाजी, आयु व्यस्क
12. गोपाराम पुत्र अन्नाजी आयु व्यस्क
13. रमेश पुत्र अन्नाजी आयु व्यस्क सर्वजातियान माली, निवासीगण गोयली तहसील व जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही।
2. उपखंड अधिकारी, सिरोही।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र पुरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 08.04.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी सिरोही द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2017/2794 दिनांक 21.06.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि मौजा ग्राम गोयली पटवारी हल्का गोयली तहसील व जिला सिरोही के खसरा नंबर 1048 रकबा 1.3000 हैक्टेयर आराजी अपीलांट की खातेदारी कृषि आराजी है। जिस पर अपीलांट काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट की खातेदारी आराजी में से 0.0480 हैक्टेयर कृषि आराजी रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड नक्शे में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड नक्शे में जो फेरबदल कर नये खसरा नंबर 1271/1048, 1272/1048 रकबा 0.0480 को रास्ते के रूप मे दर्ज कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे में फेरबदल करने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट की सहमति एंव सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये अपनी इच्छानुसार अपीलांट की खातेदारी आराजी मे राजस्व जमाबंदी व नक्शे में रास्ते के रूप में इन्द्राज कर राजस्व नक्शे में लाल पेन से रास्ता दर्शाया है जबकि उक्त आराजी में कभी रास्ता नही रहा है। एवं न ही मौके पर कोई रास्ता है। इसके अतिरिक्त धारा 251 ए मे यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि यदि किसी खातेदार को अपनी कृषि आराजी में आवागमन हेतु कोई रासता मौजूद नही हो तो अन्य की खातेदारी में से अपनी कृषि आराजी में आवामगन हेतु रास्ते की मांग रकने बाबत सक्षम न्यायालय उपखंड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तत्पश्चात सुनवाई विधि सम्मत आदेश पारित किया जाता हे। किन्तु हस्तगत प्रकरण में किसी भी खातेदारी द्वारा अपनी कृषि आराजी में जाने हेतु रास्ते की मांग नही की है एवं न ही न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलांट की खातेदारी आराजी में न तो डोटेड लाईन से किसी प्रकार का कोई रास्ता दर्ज है एवं न ही भविष्य मे कोई रास्ता रहा है। रास्ते के संबध में विधिवत रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बना हुआ है, जब तक कानून में संशोधन नहीं होता तब तक मात्र परिपत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट को अपीलांट की कृषि आराजी में राजस्व रेकर्ड में फेरबदल करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया का पालना किये अपनी मर्जी माफिक मौका नक्शा बनाकर आपस में मिलीभगत कर खातेदारी का उसकी खातेदारी कृषि आराजी के उपयोग उपभोग करने से महरूम करने के संबध में जो आदेश पारित किया है। जो विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी आराजी के नये खसरा नंबर 1271/1048, 1272/1048 रकबा 0.0480 को रास्ते के रूप मे दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है। उक्त आदेश राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 में दर्शित प्रावधानो की पालना में विधिवत कार्यवाही करते हुए पारित किया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सिरोही के आदेश क्रमांक भू.अ./16/6537 दिनांक 08.12.2016 की पालना में बनाई गई मौका फर्द अनुसार "मौके पर खसरा नंबर 1047 गै.मु. शमशान से लेकर 1048, 1051, 1052, 1053, से 1055 तक रास्ता मौके पर पुराना रास्ता है। जबकि राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता कई वर्षो पुराना है एवं मौके पर वर्तमान मे चालू है।" की रिर्पोट प्राप्त हुई है। उक्त मौका रिर्पोट पर 02 मौतबिरानो के हस्ताक्षर मौजूद है। जिससे यह स्पष्ट है कि मौके पर पुराना रास्ता है जो कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार के परिपत्र की मंशा अनुसार विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1048 रकबा 1.3000 हैक्टेयर में से 0.0480 हैक्टेयर कृषि आराजी रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड नक्शे में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड नक्शे में फेरबदल कर नये खसरा नंबर 1271/1048, 1272/1048 रकबा 0.0480 को रास्ते के रूप मे दर्ज कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे में फेरबदल करने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश रेस्पोडेन्ट्स द्वारा राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में पारित किया गया है। उक्त परिपत्र "रास्ते संबधी समस्याओ का निराकरण अभियान 2016" के तहत राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है। जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड/नक्शो में डोटेड रेखाकिंत रास्तों अथवा दर्ज नहीं रास्तो को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा राजस्थान सरकार के उक्त परिपत्र की पालना में वादग्रस्त आराजी के संबध में मौका रिर्पोट तलब की गई। उक्त मौका रिर्पोट अनुसार मौके पर खसरा नंबर 1047 गै.मु. शमशान से लेकर 1048, 1051, 1052, 1053, से 1055 तक रास्ता मौके पर पुराना रास्ता है। जबकि राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता कई वर्षो पुराना है एवं मौके पर वर्तमान मे चालू है।" की रिर्पोट प्राप्त हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

मौका रिर्पोट के आधार पर रास्ते संबधी समस्याओ का निराकरण अभियान 2016" के तहत राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र की पालना में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश पारित किया है। जिसमें हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2017/2794 दिनांक 21.06.2017 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 08.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही